CNRNo-UPBP010024972021

न्यायालयः जनपद न्यायाधीश, बलरामपुर

उपस्थितः नरेन्द्र बहादुर यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा)

दीवानी पुनरीक्षण संख्या–18/2021

(कम्प्यूटरीकृत पंजीयन सं0–20/2021)

अंकित तिवारी .....पुनरीक्षणकर्ता।

बनाम

कमलेश कुमार व 03 अन्य ..... विपक्षीगण।

निर्णय

मूल दीवानी वाद संख्या–636/2015 कमलेश कुमार आदि बनाम अंकित तिवारी आदि में विद्वान सिविल जज (जू0डि0), बलरामपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 08.10.2021 से क्षुब्ध होकर प्रश्नगत दीवानी पुनरीक्षण मुख्य रूप से इस आधार पर योजित किया गया है कि अवर न्यायालय ने मूल्यांकन निर्धारित करने और तद् अनुरूप न्याय शुल्क की अदायगी के सम्बन्ध में वाद बिन्दु व तत्सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 69ग का निस्तारण करते समय मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि करोड़ो रूपये की विवादित सम्पत्ति के सम्बन्ध में पर्याप्त न्याय शुल्क अदा न करने पर राजस्व की क्षति होगी। उक्त आधार पर आक्षेपित आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया गया।

2. आक्षेपित आदेश के पर्यवेशीलन से प्रकट होता है कि प्रार्थनापत्र 69ग प्रस्तुत करके पुनरीक्षणकर्ता/प्रतिवादी ने यह याचना किया कि वादी संख्या–2 कन्दर्भ किशोर के बयान के अनुसार विवादित सम्पत्ति का मूल्य करोड़ों रूपये में है तथा इसी के अनुरूप किसी भी स्तर पर पूर्व में पारित आदेश को न्यायहित में संशोधित किये जाने का सिद्धान्त अपनाते हुए न्याय शुल्क अदा करने के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाय। उक्त प्रार्थनापत्र के विरूद्ध आपत्ति 71ग समर्थित शपथपत्र 72ग प्रस्तुत करके वादीपक्ष की तरफ से यह कथन किया गया कि वाद बिन्दु संख्या–3 व 4 के निस्तारण के उपरान्त उसी बिन्दु को उठाने का अवसर प्रतिवादीगण को सुलभ नहीं तथा वादी के बयान के आधार पर नहीं बल्कि न्याय शुल्क कोर्ट फीस अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अदा किया जाता है। उभयपक्ष की तरफ से उनके विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों को विचार में लाकर विद्वान अवर न्यायालय ने प्रार्थनापत्र 69ग इस आधार पर खारिज कर दिया कि मूल्यांकन व न्यायशुल्क के सम्बन्ध में विरचित वाद बिन्दु संख्या–3 व 4 का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर दिनांक 02.08.2021 को किया जा चुका है जो उभयपक्ष के बीच अन्तिम है। अतः ऐसी स्थिति में मात्र किसी साक्षी के बयान के आधार पर उसमें परिवर्तन करना सम्भव नहीं है।

self-attested
31/05/22

3. मैंने पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया।

4. स्वीकृत रूप से मूल्यांकन निर्धारण व न्यायशुल्क अदायगी के सम्बन्ध में विरचित वाद बिन्दु संख्या–3 व 4 का निस्तारण विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 08.10.2021 को किया जा चुका है। वाद बिन्दु संख्या–3 व 4 के निस्तारण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांकित 02.08.2021 को पुनरीक्षण या अपीलीय न्यायालय के समक्ष चुनौती देने के सम्बन्ध में कोई कथन पुनरीक्षणकर्ता/प्रतिवादी की तरफ से नहीं किया गया है। सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुसार दीवानी प्रकृति के एक मामले में किसी बिन्दु पर कार्यवाही के दौरान पारित आदेश पश्चात्वर्ती स्तर पर उसी सम्बन्ध में उठाये गये बिन्दु के सम्बन्ध में प्राङ्न्याय का प्रभाव रखता है। पश्चात्वर्ती स्तर पर, मेरिट पर आदेश पारित करने के उपरान्त पश्चात्वर्ती स्तर पर प्रकट हुए किसी विधि का सहारा लेकर, पूर्व में पारित आदेश पुनर्विलोकित या आदेश पारित करने के सम्बन्ध में निवेदन करना विधि की मंशा के अनुरूप नहीं होता है। मूल्यांकन का विनिश्चय विवादित सम्पत्ति के मूल्य के आधार पर किया जाता है न कि वादी या प्रतिवादी द्वारा विचारण के दौरान मेरिट पर प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्य के आधार पर। स्वीकृत रूप से विवादित भूमि कृषि भूमि के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, जिसके सम्बन्ध में वाद मूल्यांकन व न्याय शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व अदायगी से सम्बन्धित रकम को आधार मानकर न्याय शुल्क निर्धारित करते हुए न्याय शुल्क की अदायगी की जाती है। यदि पुनरीक्षणकर्ता आदेश दिनांकित 02.08.2021 से क्षुब्ध थे तो उन्हें समय सीमा के भीतर उस आदेश को चुनौती देना चाहिए था। चूंकि प्रार्थनापत्र 69ग में उठाये गये बिन्दु प्राङ्न्याय के सिद्धान्त से बाधित है। अतः ऐसी दशा में वाद बिन्दु संख्या–3 व 4 की वैधता के सम्बन्ध में इस स्तर पर इस न्यायालय द्वारा निश्चियात्मक मत प्रकट करना न्यायोचित नहीं होगा। आक्षेपित आदेश दिनांकित 08.10.2021 द्वारा किसी विधि का उल्लघंन नहीं हुआ व उक्त आदेश को अंवर न्यायालय द्वारा अधिकारिता के भीतर पारित किये जाने की दशा में प्रश्नगत दीवानी पुनरीक्षण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रश्नगत दीवानी पुनरीक्षण उपरोक्त विवेचन के आलोक में सरसरी तौर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली अवर न्यायालय को प्रेषित की जाये।

NBYadav 08/11/2021

दिनांक 08.11.2021

(नरेन्द्र बहादुर यादव)
जनपद न्यायाधीश
बलरामपुर।

आज यह निर्णय, मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

NBYadav 08/11/2021

दिनांक 08.11.2021

self Attested
31/05/22

(नरेन्द्र बहादुर यादव)
जनपद न्यायाधीश
बलरामपुर।

11/11/21